

# मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-71/ 4215  
आदेश

जबलपुर,दिनांक

6-03-2019

CE (Tr.-EZ)  
R No...3354...  
Date. 08-MAR 2019  
Works/Pur.  
Estt./Steno  
Cashier

म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service ) का लाभ म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के कार्मिकों हेतु उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित सहायक मानचित्रकार (A.D.M.) (विद्युत) / रेखण कार्या0 सहायक श्रेणी-एक (सिविल) (D.O.A.Gr.-I) को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत वरिष्ठ मानचित्रकार (विद्युत) / (सिविल) के पद का समयमान वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-7, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु0 9300-34800 / -सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4100 / - तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में रु0 36600-116000 / -प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच लंबित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थ	समयमान वेतन-मान स्वीकृति की तिथि
<b>Assistant Draftsman (Electrical)</b>				
1	91480093	Shri Birendra Singh Mavai	E.E.(EHT-C) Dn.I, Gwalior	01/08/2018
<b>D.O.A. Gr.I (Civil)</b>				
2	84444379	Shri Sanjeev Kumar Jaiswal	Addl.C.E.(EHT-C) Jabalpur	27/12/2018
3	93380219	Shri Lokesh Shrivastava	E.E.(EHT-C) Dn.II, Gwalior	29/12/2018
4	86440136	Shri Sanjay Kumar Jain	CGM (HR&A) MPPKVCL, Jabalpur	27/12/2018

उक्त समयमान वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)  
म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-71/ 4216  
प्रतिलिपि :-

जबलपुर,दिनांक

6-03-2019

- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एव.प्रशा.(मा.संसा.एव.प्रशा.)/ (अति.उच्चदाब-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर
- मुख्य वित्तीय अधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एव.प्रशा.) म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि. वित. कंपनी लिमि. जबलपुर ।

क्रमशः-2




- 4 अति मुख्य अभियंता (अति.उच्चदाब-निर्माण) वृत्त म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
- 5 अधीक्षण अभियंता (अति.उच्चदाब-निर्माण) वृत्त म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. ग्वालियर ।
- 6 कार्यपालन अभियंता (अति.उच्चदाब-निर्माण) संभाग-एक/दो म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. ग्वालियर ।
- 7 कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (ट्रॉ.स.ई.जोन) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
- 8 वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि० जबलपुर।
- 9 क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर/भोपाल ।
- 10 निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
- 11 श्री .....सहायक मानचित्रकार (विद्युत) रेखण कार्या० सहायक,  
(सिविल) द्वारा अति मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता.....  
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि० के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।



अधीक्षण अभियंता

कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)  
म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि०, जबलपुर